



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257636  
CG-DL-E-03102024-257636

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]  
No. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2024

मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2024

**विषय:** चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर पाटन रोधी शुल्क के संबंध में द्वितीय सूर्यास्त समीक्षा पाटन रोधी जांच की शुरुआत

**फ. सं 7/08/2024-डीजीटीआर** – समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए सामग्री पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "एडी नियम, 1995" भी कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स डेफोडिल फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा जाएगा) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "विषयगत देश" कहा जाएगा) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सोडियम साइट्रेट (जिसे आगे "विषयगत माल" या "विचाराधीन

उत्पाद" कहा जाएगा) के आयात पर सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने और मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की मांग की गई है।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले प्रतिसंहत न किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा और प्राधिकरण से यह समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### **क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि**

3. चीन जन. गण. से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल पाटन रोधी जांच प्राधिकरण द्वारा 28.02.2014 को फ. संख्या 14/23/2013-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। मूल जांच में अंतिम निष्कर्ष 26.02.2015 को प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था जिसमें चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयात पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। उपरोक्त सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.05.2015 के तहत स्वीकार कर लिया गया था और चीन जन.गण. में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले संबंधित सामानों पर अंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था।
4. प्राधिकरण ने अधिसूचना फ. संख्या 7/21/2019-डीजीटीआर दिनांक 25.10.2019 के तहत पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू की। दिनांक 30.04.2020 के अपने अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से, प्राधिकरण ने चीन जन. गण. से संबंधित वस्तुओं के आयात पर संशोधित पाटन रोधी कर्तव्यों को 5 साल की एक और अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और शुल्क को अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 19.05.2020 द्वारा 5 साल की अवधि के लिए जारी रखा गया। 19.05.2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाए गए शुल्क 18.05.2025 तक मान्य हैं।

### **ख. विचाराधीन उत्पाद**

5. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "सोडियम साइट्रेट" ("विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद") है।
6. सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनो-सोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। सोडियम साइट्रेट साइट्रिक एसिड का सोडियम नमक है। साइट्रिक एसिड की तरह, इसमें खट्टा स्वाद होता है। अन्य लवणों की तरह, इसमें भी नमकीन स्वाद होता है।
7. सोडियम साइट्रेट मुख्य रूप से एक एक्स्पेक्टोरान्त और एक मूत्र अल्कनिज़ेर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग फार्मास्युटिकल सहायता के रूप में और डेयरी उद्योगों में खाद्य योज्य के रूप में भी किया जाता है जो पनीर निर्माण और पेय पदार्थों को पूरा करता है। यह एक जल उपचार रसायन और एक प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है।
8. जैसा कि वर्तमान आवेदन सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए है, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित और बाद में सूर्यास्त समीक्षा जांच में परिभाषित है जो निम्नानुसार है;

3. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "सोडियम साइट्रेट", "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" है।

4. सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनो-सोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। सोडियम साइट्रेट साइट्रिक एसिड का सोडियम नमक है। साइट्रिक एसिड की तरह, इसमें खट्टा स्वाद होता है। अन्य लवणों की तरह, इसमें भी नमकीन स्वाद होता है। मूल पाटन रोधी जांच के डीजीएडी के 26 फरवरी, 2015 के अंतिम निष्कर्षों में, पीयूसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच के उद्देश्य के तहत विचाराधीन उत्पाद" सोडियम साइट्रेट "है। सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन निम्नलिखित वैकल्पिक नामों से भी किया जा सकता है: - क. सोडियम साइट्रेट, ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, घ. सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, ङ. ट्राइबेसिक सोडियम साइट्रेट, च. सोडियम साइट्रेट ट्राइबासिक डाइहाइड्रेट, छ. सोडियम साइट्रेट डिस्क्रिहाइड्रेट, ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबैसिक बायोक्स्टा"।

5. वर्तमान याचिका सूर्यास्त समीक्षा जांच के लिए है, स्थापित न्यायशास्त्र और प्राधिकरण की पिछली प्रथाओं के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

6. विषय वस्तुएं सीमा शुल्क उप-शीर्षक 29181520 के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं, और प्रस्तावित जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं। माल का विवरण शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए प्रबल होगा।

### ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पहले से ही लागू पाटन रोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए सूर्यास्त समीक्षा से संबंधित है। प्राधिकरण द्वारा मूल जांच के साथ-साथ पिछली समीक्षा जांच में समान वस्तु के मुद्दे की पहले ही जांच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को विचाराधीन देश से उत्पादित और आयात किए गए उत्पाद के लिए वस्तु के रूप में नोट किया जाता है।

### घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण समान वस्तु या घरेलू उत्पादक हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, उस दशा में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

11. आवेदन मेसर्स डैफोडिल फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मेसर्स डैफोडिल फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड को मूल रूप से मेसर्स पोसी फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था और मेसर्स पोसी फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड को मूल जांच में और पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच में भी घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने स्वयं संबंधित वस्तुओं का

आयात नहीं किया है और न ही किसी निर्यातक से संबंधित हैं या चीन जन. गण. से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित हैं।

12. आवेदक के अलावा भारत में संबंधित वस्तुओं के दस और उत्पादक हैं जिनकी पहचान आवेदन में की गई है। ऐसे दस अन्य उत्पादकों में से दो उत्पादकों नामत मैसर्स इंडिया फास्फेट और मैसर्स सुनील केमिकल्स ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है। यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक द्वारा उत्पादन पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के संदर्भ में एक 'प्रमुख अनुपात' है।
13. इसे देखते हुए, प्राधिकरण मानता है कि आवेदक नियम 5 (3) के साथ पठित पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है।

### **ड. विषय देश**

14. वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

### **च. पाटन का आधार और पाटन की संभावना के दावे**

#### **I. सामान्य मूल्य**

15. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) और एडी नियमों के अनुलग्नक 1 के अनुच्छेद 7 के संदर्भ में, चीन जन. गण. के उत्पादकों का सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, यदि चीन जन. गण. के जवाब देने वाले निर्माता यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और निष्पक्ष होने की अनुमति देती है एडी नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुच्छेद 1 से 6 के संदर्भ में तुलना, ऐसा न होने पर, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुच्छेद 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
16. इसके बाद, आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है और वैकल्पिक विधि के रूप में, भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित की गई है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं कर सके।
17. तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के दावे को सिद्ध करने के लिए आवेदक ने दावा किया है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को संवादाधीन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का निर्यात किया है और चूंकि विषय वस्तुओं का वर्गीकरण समपत है, इसलिए डीजीसीआई एंड एस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात संबंधी सूचना भी उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसे निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका में अवतरण स्तरों पर बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में मूल्य को प्रतिबिम्बित करेंगे जैसा कि नियम में परिकल्पना की गई है। दावे की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि भारत से केवल यूएसए को निर्यात मूल्य ही उस उत्पाद का आयात मूल्य नहीं दर्शा सकता है और चूंकि यूएसए ने अन्य स्त्रोतों से भी संबंधित वस्तुओं का आयात किया है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अवतरण स्तरों पर अकेले भारत से निर्यात मूल्य की उपयुक्तता की आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस दावे को और अधिक प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है कि चीन जन. गण. से संबंधित वस्तुओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरा देश होगा। इच्छुक पार्टियां इस संबंध में आवेदक के दावों पर टिप्पणी कर सकती हैं और किसी भी विस्तृत जांच को लंबित करते हुए, इस स्तर पर सामान्य मूल्य वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

18. आवेदक ने चीन जन. गण. के मामले में भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जैसा कि उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को समायोजित करने के बाद उपलब्ध है।

## II. निर्यात मूल्य

19. आवेदकों ने डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित सारांश आधार पर आयात सूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात मूल्य का दावा किया है क्योंकि उत्पाद का समपत वर्गीकरण है। प्राधिकरण ने सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए डीजी सिस्टम्स डाटा के आधार पर आयात मूल्य पर भी विचार किया है। समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, प्रलेखन प्रभार, हैंडलिंग और समाशोधन प्रभार तथा ऋण लागत के कारण समायोजन फैक्टरी निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए किए गए थे।

## III. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित करता है कि संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।
21. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। चूंकि वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी इच्छुक पक्षों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त करने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पाटन के अलावा पाटन की संभावना भी है। आवेदक ने चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता और यूएसए, ईयू आदि जैसे विभिन्न अन्य देशों द्वारा चीन जन. गण. से विषयगत वस्तुओं के निर्यात के खिलाफ व्यापार रक्षा उपायों का हवाला दिया है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना का सुझाव देने वाले कारकों के रूप में हैं।

## छ. क्षति और पाटन की निरंतरता / पुनरावृत्ति की संभावना

22. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (पीओआई) तक भारत में उपभोक्ता देश से आयात की मात्रा में समग्र रूप से तथा खपत के सापेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। आयातों की उतराई तक की कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम रही है और कीमत दमन प्रभाव के साथ-साथ कीमत कम बिक्री स्पष्ट है। हालांकि, वॉल्यूम मापदंडों ने पीओआई द्वारा सुधार दिखाया, इन्वेंटी स्तरों में वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे में था और आरओआई भी पीओआई के दौरान नकारात्मक रहा है। यह तर्क दिया गया है कि चीन जन.गण. से संबंधित वस्तुओं के निरंतर डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना जारी है।
23. आवेदक ने संबंधित देश में अधिशेष क्षमताओं, आगे स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमताओं और विषय देश में उत्पादकों के निर्यात अभिविन्यास, भारतीय बाजार के आकर्षण, अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने और क्षति की संभावना स्थापित करने के आधार के रूप में इन निर्यातों के कारण संभावित नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान की है।

24. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना प्रथम दृष्टया संबंधित देश से पाटनकारी की पुनरावृत्ति तथा वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

### **ज. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत**

25. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करते हुए, और नियमों के नियम 23 (1 बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए (5) के अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा लागू कर्तव्यों के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करता है (ग) सरकार ने संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी की है और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की जाती है।

### **झ. जांच की अवधि (पीओआई)**

26. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) है। जांच के लिए क्षति की अवधि वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-2023 और जांच की अवधि को कवर करेगी।

### **ञ. प्रक्रिया**

27. वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा जांच में फ. संख्या 7/21/2019-डीजीटीआर दिनांक 30.04.2020 द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
28. एडी नियम, 1995 के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

### **ट. सूचना प्रस्तुत करना**

29. सभी संचार नामित प्राधिकारी को ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <dd19-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से <adv11-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@govcontractor.in> को एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
30. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से विषय देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
31. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

32. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
33. इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (<https://www.dgtr.gov.in/>) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत और अवगत कराया जा सके।

### **ठ. समय सीमा**

34. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राधिकरण को ई-मेल पते [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in) और [dd19-dgtr@gov.in](mailto:dd19-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए, साथ ही एक प्रति [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) को एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्रसारित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
35. सभी इच्छुक पक्षों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

### **ड. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना**

36. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, वहां उसे एक साथ विज्ञापन निदेशक नियम, 1995 के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
37. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे प्रस्तुतिकरण का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
38. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण अनिवार्य रूप से गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
39. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और एडी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण, इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
40. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।

41. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या एडी नियम, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
42. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

#### **ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

43. पंजीकृत इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन का गोपनीय संस्करण अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें। सबमिशन/ प्रतिक्रिया/ सूचना का गोपनीय संस्करण प्रसारित न करने पर इच्छुक पक्ष को असहयोगी माना जा सकता है।

#### **ण. असहयोग**

44. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझी जाती हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30 th September, 2024

#### **Case No. AD (SSR)-02/2024**

**Subject: Initiation of Second Sunset Review anti-dumping investigation concerning Anti-dumping duties on imports of “Sodium Citrate” originating in or exported from China PR - reg.**

**F. No. 7/08/2024-DGTR** – Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules, 1995"), M/s Daffodil Pharmachem Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) seeking initiation of Sunset Review investigation and the continuation of



extant anti-dumping duties on imports of Sodium Citrate (hereinafter referred to as the “subject goods”, or “the product under consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9A(5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

#### **A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATIONS**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority on 28.02.2014 *vide* F. No. 14/23/2013-DGAD. The final finding in the original investigation was issued by the Authority on 26.02.2015 recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR. The aforesaid recommendation was accepted by the Central Government *vide* Notification No. 19/2015-Customs (ADD) dated 20.05.2015 and final anti-dumping duties were imposed on the subject goods originating in or exported from China PR.
4. The Authority initiated the first sunset review investigation *vide* Notification F. No. 7/21/2019-DGTR dated 25.10.2019. By way of its final findings dated 30.04.2020, the Authority recommended continuation of the anti-dumping duties as modified on imports of the subject goods from China PR for another period of 5 years which was subsequently accepted by the Central Government and duties were continued *vide* Notification No. 8/2020-Customs (ADD) dated 19.05.2020 for a period of 5 years. The duties as extended with effect from 19.05.2020 for a period of 5 years are valid till 18.05.2025.

#### **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

5. The product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation is “**Sodium Citrate**” (the “subject goods” or the “Product under Consideration”).
6. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid. Like citric acid, it has a sour taste. Like other salts, it also has a salty taste.
7. Sodium Citrate is mainly used as an expectorant and a urine alkalinizer. It is also used as a pharmaceutical aid and as a food additive in dairy industries which cater to cheese manufacturing and beverages. It is also a water treatment chemical and a laboratory reagent.
8. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains same as defined in the original investigation and in the subsequent sunset review investigation which is as follows;

3. *The product under consideration for the purpose of present investigation is “Sodium Citrate” the “subject goods” or the “Product under Consideration”.*

4. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid. Like citric acid, it has a sour taste. Like other salts, it also has a salty taste. In DGAD's Final Findings dated 26<sup>th</sup> February, 2015 of the original Anti-dumping investigation, the PUC had been defined as:

*"The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Citrate". Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. The product under consideration can also be transacted by the following alternate names: - a. Sodium Citrate, b. Tri Sodium Citrate, c. Tri Sodium Citrate dihydrate, d. Sodium Citrate dihydrate, e. Tribasic Sodium Citrate, f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate, g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate, h. Sodium Citrate Monobasic Bioxtra".*

5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.

6. Subject goods fall under customs sub-heading 29181520. However, the said customs classifications are only indicative, and not binding on the scope of the proposed investigations. The description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

### **C. LIKE ARTICLE**

9. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application pertains to sunset review for the continued imposition of anti-dumping duties already in force. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well as in the previous sunset review investigation. The product produced by the domestic industry is noted as like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

### **D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

10. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

*"Domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry "*

11. The application has been filed by M/s Daffodil Pharmachem Private Limited. M/s Daffodil Pharmachem Private Limited was originally incorporated as M/s Posy Pharmachem Private Limited and M/s Posy Pharmachem Private Limited has been treated as domestic industry in

the original investigation and also in the first sunset review investigation. It has also been submitted that the applicant themselves have not imported the subject goods nor are related to any of the exporters or imports of the subject goods from China PR.

12. Apart from the applicant, there are ten more other producers of the subject goods in India as identified in the application. Out of such ten other producers, two producers namely M/s India Phosphate and M/s Sunil Chemicals have expressly supported the application. It is noted that production by the applicant constitute a 'major proportion' in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995.
13. In view of the same, the Authority considers that applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995 read with Rule 5(3).

#### **E. SUBJECT COUNTRY**

14. The subject country in the present sunset review investigation is China PR.

#### **F. BASIS OF DUMPING AND CLAIMS OF LIKELIHOOD OF DUMPING**

##### **IV. Normal Value**

15. The petitioner has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure I to the AD Rules, the normal value of producers of China PR may be determined based on the costs or domestic selling prices prevailing in China PR only if the responding producers from China PR demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.
16. Thereafter, the applicant has claimed normal value on the basis of the price in a market economy third country and as an alternative method, the price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin have also been claimed. Applicant has submitted that they could not collect any evidences for constructed value in a market economy third country or, the price from such a third country to other country, including India.
17. To substantiate the claim of normal value on the basis of the price in a market economy third country, applicant claimed that India has exported substantial volume of subject goods to USA and since the subject goods have dedicated classification, information on exports of subject goods to USA is also available as per DGCI&S. Such exports to USA at landed levels in USA would reflect the price in a market economy third country as envisaged in the Rule. The claim has been examined. It is noted that export price from India to USA alone may not reflect the import price of the product into USA as such and since USA have imported the subject goods from other sources also, the appropriateness of export price from India alone at landed levels in USA as the price in a market economy third country requires further examination. Also, the claim that USA would be an appropriate market economy third country for the subject goods from China PR needs further substantiation. Interested parties may comment on the claims of the applicant in this regard and pending any detailed examination, normal value at this stage is determined on an alternative basis.

18. Applicant has also claimed normal value in case of China PR on the basis of the price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as available after adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

#### **V. Export Price**

19. The applicants have claimed CIF export price based on import information on a summary basis published by DGCI&S since the product has as dedicated classification. The Authority has considered import price based on DG Systems data also to check the veracity of the information. Adjustments on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Inland Freight, Documentation charges, Handling and Clearing charges and Credit Cost were made to arrive at ex-factory export price.

#### **VI. Dumping Margin**

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject country.
21. Based on the normal value and the export price as computed, it is seen that the dumping margin is positive. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties. It has been submitted by the applicant that there is likelihood of dumping apart from current dumping. Applicant has cited excess capacity in China PR and trade defence measures against the exports of subject goods from China PR by various other countries like USA, EU, etc., as factors suggesting likelihood of dumping in the event of expiry of duties.

#### **G. INJURY AND THE LIKELIHOOD OF CONTINUATION / RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

22. The volume of imports from the subject country has increased in absolute as well as in relative terms to consumption in India by the period of investigation (POI) over the base year. The market share of the applicant has declined in the POI as compared to base year despite an increase in demand. Landed price of imports have been below the cost of the domestic industry and price suppression effects as well as price underselling is evident. Though, the volume parameters showed improvements by the POI, there has been an increase in inventory levels. The domestic industry was in financial losses during the POI and ROI also have been negative during the POI. It is contended that the domestic industry continued to suffer injury on account of continued dumped imports of subject goods from China PR.
23. The applicant has provided information on surplus capacities in the subject country, further freely disposable capacities and export orientation of the producers in the subject country, attractiveness of Indian market, imposition of trade remedial measures by other nations and likely injury due to these exports as basis to establish the likelihood of injury.
24. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows recurrence of dumping from the subject country and the likelihood of injury to the domestic industry in case of expiry of the extant anti-dumping duties.

## **H. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION**

25. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

## **I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

26. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2020-21, FY 2021-22, FY 2022-2023 and the period of investigation.

## **J. PROCEDURE**

27. The present sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published *vide* F. No. 7/21/2019-DGTR dated 30.04.2020 recommending the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
28. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the AD Rules, 1995 shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

## **K. SUBMISSION OF INFORMATION**

29. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <dir13-dgtr@gov.in> and <dd19-dgtr@gov.in> with a copy to <adv11-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@govcontractor.in>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
30. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
31. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
32. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

33. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

#### **L. TIME LIMIT**

34. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses <dir13-dgtr@gov.in> and <dd19-dgtr@gov.in> with a copy to <adv11-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@govcontractor.in> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application is circulated by the Authority as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
35. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (*including the nature of interest*) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

#### **M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

36. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
37. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
38. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
39. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

42. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

#### **N. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

43. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/ response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

#### **O. NON-COOPERATION**

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority